रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 449] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 27, 2013/फाल्गुन 8, 1934
No. 449] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 2013/PHALGUNA 8, 1934

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2013

**का.आ. 485(अ).**—यत: केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खण्ड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 78 (अ), तारीख 4 फरवरी, 1999 का.आ. 1192 (अ), द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 8 के 0.000 किमी से 381.600 कि.मी (अहमदाबाद-गुजरात/महाराष्ट्र सीमा सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण " संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यत:, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, मैसर्स नर्मदा ब्रिज टोलवे लिमिटेड, जो 27 अप्रैल, 2012 को प्रस्तुत की गई बोलियों के सफल बोलीदाता हैं, जिसका पंजीकृत कार्यालय हिंकन हाउस, 11 वॉ तल, 247 पार्क, कर्नल बहादुर शास्त्री मार्ग, विक्रोली (वेस्ट), मुम्बई-400083 (महाराष्ट्र), भारत में हैं (जिसे इसमें इसके प्रश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग सं.- 8 पर 192.000 किमी से 198.000 किमी तक वडोदरा-सूरत सेक्शन (जिसे इसमें इसके प्रश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) जिसमें डिजाइन,निर्माण,वित्त,प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर एक नए चार लेन के एकस्ट्रा डोज पुल का निर्माण कार्य शामिल है, का छह लेन में विकास करने हेतु करार किया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2980 (अ), तारीख 21 दिसम्बर, 2012 द्वारा प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के 192.000 किमी से 198.000 किमी तक के क्षेत्र में वर्ष 1997 और 2000 में जड़ेश्वर में नर्मदा नदी पर बनाए गये पुलों के उपयोग के लिए, यांत्रिक वाहनों पर इसकी अनुसूची में विनिर्दिष्ट श्रेणी के वाहनों और विनिर्दिष्ट दरों पर, शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत किया था ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके प्रश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2980 (अ), तारीख 21 दिसम्बर, 2012 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाए उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गयी हैं या करने से लोप करा दी गई है, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन, पर हुए व्यय, निवेशित पुंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद् द्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 5.401 किमी हेतु चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है), और दस करोड़ रूपये या अधिक की लागत वाले पुलों/संरचनाओं, के लिए नीचे सारणी 1 और 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी सं. 2 में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जायेगा, और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, समापन की तारीख तक, जैसा कि करार में विनिर्दिष्ट किया गया है, शुल्क का संग्रहीत और प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

सारणी-1

| वाहन का प्रकार | आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन | 0.65 |
| हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन अथवा मिनी बस | 1.05 |
| बस या ट्रक (दो धुरी वाले) | 2.20 |
| तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन | 2.40 |
| भारी संख्या निर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (इएमइ.) अथवा मल्टी एक्सल वाहन (एसएवी) (तीन से छह धुरी वाले) | 3.45 |
| बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले ) | 4.20 |

सारणी-2

| शुल्क की आधार दर (प्रति वाहन प्रति फेरा) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्थायी पुल, या सुरंग की लागत (करोड़ रूपये में) | कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन | हल्का वाणिज्यिक वाहन, हल्का माल वाहन या मिनी बस | ट्रक या बस | तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन | भारी निर्माण मशीनरी अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय वाहन तीन से छह धुरी वाले | बड़े आकार के वाहन सात या अधिक धुरी वाले |
| 10 से 15 | 5 | 7.50 | 15 | 16.50 | 22 | 30 |
| पंद्रह करोड़ रूपए से अधिक और एक सौ करोड़ रूपए तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रूपए या उसके भाग के लिए | 1 | 1.50 | 3 | 3.30 | 4.50 | 6 |
| एक सौ करोड़ रूपए से अधिक और दो सौ करोड़ रूपए तक प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रूपए या उसके भाग के लिए | 0.75 | 1.15 | 2.25 | 2.45 | 3.40 | 4.50 |
| दो सौ करोड़ रूपए से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रूपए या उसके भाग के लिए | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 1.65 | 2.25 | 3 |

IndiaCode

टिप्पणियां:

1. **नये चार लेन के एकस्ट्रा डोज पुल की निर्माण अवधि के दौरान**

(प्राधिकरण द्वारा सीओडी/नियत तिथि की घोषणा किये जाने तथा शुल्क प्राधिकरण या इसकी एजेंसी द्वारा संग्रहीत किया जाता है । प्राधिकरण द्वारा सीओडी/नियत तिथि की घोषणा किये जाने बाद शुल्क रियायतग्राही द्वारा संग्रहीत किया जाना है)

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के 192.000 किमी से 198.000 किमी तक के खण्ड में एक स्थान पर उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित विवरण के अनुसार शोध्य एवं संदेय होगा;

| क्रम सं0 | वाहनों की श्रेणी | प्रतिवाहन प्रति ट्रीप शुल्क दर (रूपये में) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | कार | 20 |
| 2. | हल्के वाणिज्यिक वाहन/एलसीवी | 51 |
| 3. | बसें | 60 |
| 4. | ट्रक | 60 |

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 5 के अनुसार, उपर्युक्त दरों में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा;

(ग) निम्न प्रकार के वाहनों को उपभोक्ताशुल्क से छूट प्रदान की गयी है और रियायत कंपनी इन वाहनों को इस सुविधा का उन्मुक्त रूप से लाभ उठाने देगी;

(क) (i) वीआईपी प्रतीकों वाले वाहन
(ii) पुलिस के वाहन (कानून प्रवर्तन एजेंसियां)
(iii) नियोक्ता, नियोक्ता के एजेंटों और इंजीनियर इंचार्ज तथा उसका प्राधिकृत परियोजना स्थापना स्टाफ के परियोजना वाहन
(iv) अग्निशमन सेवा वाहन
(v) एम्बुलेंस

IndiaCode

(ख) निम्नलिखित के कार्यालयों से संबंधित वाहनों को वीआइपी प्रतीकों वाले वाहन समझा जाएगा, अर्थात्;

(i) भारत का राष्ट्रपति

(ii) भारत का उपराष्ट्रपति

(iii) केन्द्रीय एवं राज्यमंत्री

(iv) लोकसभा/राज्यसभा में विपक्ष के नेता

(v) राज्यपाल

(vi) कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त राज्यों के विधायक

(vii) कार्यकारी पार्षद

(viii) केन्द्रीय एवं राज्य विधानमंडलों के स्पीकर/चेयरमैन

(ix) भारत के राजकीय दौरे पर आए विदेशी गणमान्य व्यक्ति

(x) भारत में अवस्थित विदेशी राजनयिक जो सीडी प्रतीक चिह्नों वाली कारों का उपयोग करते हों।

2. **नये चार लेन के एक्स्ट्रा डोज पुल की, निर्माण अवधि समाप्त होने के पश्चात्:-**

(शुल्क रियायतग्राही द्वारा संग्रहीत किया जाना है)

(i) नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी के लिए, शोध्य और संदेय होगा;

| टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज) | लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है |
|---|---|
| रारा-8 पर 195.800 किमी, गुजरात राज्य में भरूच जिले में माण्डवा ब्रुजंग गांव के पास | 5.401 |

(ii) उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्मलिखित पुल (पुलों)/संरचना (संरचनाओं) जिनकी लागत यहां नीचे दी गयी है, के उपयोग के लिए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर (पुल का निर्माण पूरा हो जाने के पश्चात्) निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा;

| टोल प्लाजा (प्लाज़ाओं) का अवस्थान (डिजाइन चैनेज) | पुल की लंबाई (कि.मी. में) तथा लागत (करोड. रूपए में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है | |
|---|---|---|
| रारा-8 पर 195.800 किमी, | लम्बाई | लागत |

819 GI/13-2

(iii) जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2012-13 के लिए मासिक पास की दर 200.00 रूपए (दो सौ रूपए मात्र) प्रतिमाह होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

(iv) राजमार्ग सेक्शन पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्:-

| संदेय धनराशि | अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या | विधिमान्यता की अवधि |
|---|---|---|
| एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना | दो | संदाय के समय से चौबीस घंटे |
| पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई | पचास या अधिक | संदाय की तारीख से एक मास |

(v) जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

(vi) जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

(vii) यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

(viii) उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

(viii) उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

(ix) ऊपर सारणी 1 और 2 में यथा उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. की आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना

प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा, परन्तु शर्त यह है कि कुछ महीने अन्दर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

3. रा रा-8 के सूरत वडोदरा खण्ड के 198.000 कि.मी से 192.000 किमी तक खण्ड के लिए अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत समापन प्रमाण-पत्र के जारी करने की तारीख के बाद, हस्तांतरण की तारीख तक, वर्ष 1977 और 2000 में बनाए गये विद्दमान नर्मदा पुलों पर, टिप्पणी 2 में यथा-उल्लिखित प्रावधनों के अनुसार रा.रा.-8 के सूरत वडोदरा खण्ड के 198.000 कि.मी से 192.000 किमी तक के खण्ड पर यथा लागू उन्हीं दरों पर रियायतग्राही टोल संग्रहण करेगा ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/722/12-13/सीओ/जीसी (वडोदरा-सूरत)बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2013

**S.O. 485(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) S.O. 78 (E), dated the 4th February, 1999, S.O. 1192 (E), issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 0.000 to kilometer 381.600 (Ahmedabad-Gujarat/Maharashtra Border Section) of National Highway Number – 8 in the State of Gujarat to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of section-14 of the National Highways Authority of India Act (68 of 1988) the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said Agreement) with M/s Narmada Bridge Tollway Limited, having its registered office at Hincon House, 11th Floor, 247 Park, Col Bahadur Shastri Marg, Vikroli (West), Mumbai-400 083 (Maharashtra), India (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 27th April, 2012 for the development of Six laning of Vadodara-Surat Section from kilometer 192.000 to kilometer 198.000 on National Highway Number – 8 (hereinafter referred to as the "said section") including construction of a new four lane extra Dose Bridge across river Narmada in the State of Gujarat on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highway Act 1956 (48 of 1956) read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2980 (E) dated the 21st December, 2012, authorised Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of the bridges constructed across river Narmada at Zadeshwar in the years 1997 & 2000 in the area from km 192.000 to km 198.000 of National Highway No. 8 at the rates and category of vehicles specified in its schedule.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 as amended (hereinafter referred to as the "Rules"), and in supersession of the notification of the Government of India in the

Ministry of Road Transport & Highways number S.O 2980 (E) dated the 21st December 2012 except as respects things done or omitted to be done before such suppression the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the Agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length 5.401 km for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at the base rates specified in the Table No.2 for bridges/structures costing Rupees Fifty Crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement.

TABLE-1

| **Type of vehicle** | **Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)** |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle | 0.65 |
| Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus | 1.05 |
| Bus or Truck (Two Axles) | 2.20 |
| Three-axle commercial vehicles | 2.40 |
| Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles) | 3.45 |
| Oversized Vehicles (seven or more axles) | 4.20 |

TABLE-2

| **"Base rate of fee (Rupees per vehicle per trip)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of permanent bridge, or tunnel (Rupees in Crore) | Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle | Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus | Truck or Bus | Three-axle commercial vehicles | HCM, EME or MAV | Oversized Vehicle |
| 10 to 15 | 5 | 7.50 | 15 | 16.50 | 22 | 30 |
| For every additional Rupees five Crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen Crore and up to Rupees one hundred Crore. | 1 | 1.50 | 3 | 3.30 | 4.50 | 6 |
| For every additional Rupees five Crore or part thereof, exceeding Rupees one hundred Crore and upto Rupees two hundred Crore. | 0.75 | 1.15 | 2.25 | 2.45 | 3.40 | 4.50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| For every additional Rupees five Crore or part thereof, exceeding Rupees two hundred Crore. | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 1.65 | 2.25 | 3 |

**Notes:**

1. **During the construction period of new four lane extra dose bridge** :-

(Fee to be collected by Authority or its Agency till declaration of COD/Appointed Date by Authority to the Concessionaire. Fee to be collected by the Concessionaire after declaration of COD/Appointed Date by the Authority)

(a) The fee levied and collected at one place within the Stretch from km 192.000 to km 198.000 of NH-8, hereunder shall be due and payable as per the following details:

| Sr No | Category of Vehicle | Fee rate in Rs. Per vehicle per trip |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Car | 20 |
| 2 | Light Commercial Vehicles / LCVs | 51 |
| 3 | Buses | 60 |
| 4 | Trucks | 60 |

IndiaCode

(b) The above rates shall be revised annually in accordance with Rule 5 of National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008.

(c). Following types of vehicles are exempted from the tolls and the Concession Company shall allow them to use the facility freely:

A. (i) Vehicles with VIP symbols,

(ii) Police Vehicles (Law enforcement agencies),

(iii) Project Vehicles of Employer, Employers Agent and Engineer-in-charge and his authorized project establishment staff.

(iv) Fire Fighting Vehicles,

(v) Ambulances.

B. The Vehicles officially belonging to the following shall be deemed to be Vehicles having VIP Symbols; namely

(i) President of India

(ii) Vice President of India

(iii) Central and State Ministers

(iv) Leaders of Opposition in Lok Shabha / Rajya Sabha

(v) Governors

(vi) State Legislators having status of Cabinet Ministers

(vii) Executive Councilors

(viii) Speakers/Chairman of Central and State Legislatures

(ix) Foreign Dignitaries on State visit to India

(x) Foreign Diplomats stationed in India using cars with CD symbols

**2. After the Construction Period of new four lane extra dose bridge** :-

(Fee to be collected by the Concessionaire)

(i) The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

| Location of Toll Plaza(s) (Chainage) | Length (in km) for which Fee is payable |
|---|---|
| At km 195.800 on NH-8, near village Mandva Bruzang in Bharuch district in the State of Gujarat | 5.401 |

(ii) In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bridge(s)/structure(s), cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza(s) (after completion of bridge):

| Location of Toll Plaza(s) (Design chainage) | Length (in km) and Cost of bridge (in Rupees Crore) for which additional fee is payable | |
|---|---|---|
| | Length | Cost |
| At km 195.800, near village Mandva Bruzang in Bharuch district in the state of Gujarat. | Namarda Bridge - 1.344 km | Rs. 350.36 Crore |

(iii) The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 200.00 (Two Hundred Rupees) for the year 2012-13 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 as amended.

(iv) For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

| Amount Payable | Maximum number of one way journeys allowed | Period of validity |
|---|---|---|
| One and half times of the fee for one way journey | Two | Twenty four hours from the time of payment |
| Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys | Fifty or more | One month from date of payment |

(v) Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

(vi) Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for

the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

(vii) All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

(viii) The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

(ix) Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 & 2, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority and revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within six months and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

3. After the date of issuance of Completion Certificate under Article 14 for the section from km 198.000 to km 192.000 of Surat Vadodara Section of NH-8 till the transfer date, the Concessionaire shall collect the toll on the same rates as applicable on the section from km 198.000 to km 192.000 of Surat Vododara Section of NH-8 as per the provisions mentioned in Note-2 above on the existing Narmada Bridges constructed in the year 1977 and 2000.

[F. No. NHAI/13013/722/12-13/CO/GC (Vadodara-Surat) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.